भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 319**

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

**जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के माध्यम से विकेंद्रीकृत कौशल योजना**

**†*319.श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:**

**श्री खगेन मुर्मु:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत कौशल योजना और स्थानीय आवश्यकता आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) दमोह और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले और दिल्ली सहित देश भर में डीएसडीपी के निर्माण और कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय उद्योगों, कृषि, सेवा क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, हस्तशिल्प, पर्यटन और स्वरोजगार तथा आजीविका के अवसरों की मांग के अनुरूप जिला स्तरीय कौशल विकास योजनाओं को संरेखित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली और शहडोल सहित उक्त जिलों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार जिला प्रशासनों, उद्योग संघों और कौशल समितियों के साथ कोई परामर्श करने का है और यदि हां, तो पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और पलनाडु जिले में कौशल योजना और रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ड.) उपरोक्त जिलों में उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और उनमें कितनी प्रगति हुई है; और

(च) क्या सरकार ने ओडिशा के भद्रक और बालासोर जिलों की औद्योगिक और रोजगार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए डीएसडीपी तैयार किए हैं अथवा तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपीएस) के माध्यम से विकेंद्रीकृत कौशल योजना के संबंध में श्रीमती शोभनाबेन महेंद्रसिंह बारैया और श्री खगेन मुर्मु द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 10.08.2026 को उतरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *319 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (ग)** कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के निर्माण के माध्यम से कौशल नियोजन के लिए एक विकेंद्रीकृत और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। डीएसडीपी का उद्देश्य जिले-विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं, स्थानीय आर्थिक अवसरों, रोजगार क्षमता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान को सुगम बनाना है, जिससे कौशल विकास नियोजन में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) संबंधित जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में गठित जिला कौशल समितियों (डीएससी) द्वारा जिला प्रशासन, संबंधित विभागों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की जाती हैं। इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर स्थानीय कौशल कमियों, उभरते क्षेत्रों और आजीविका के अवसरों का आकलन संभव हो पाता है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए डीएसडीपी जिला-विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और आजीविका के अवसरों के साथ कौशल विकास संबंधी हस्तक्षेपों को संरेखित करने के लिए संदर्भ दस्तावेजों के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें कृषि, विनिर्माण, सेवाएं, हस्तशिल्प, पर्यटन और स्वरोजगार से संबंधित अवसर शामिल हैं।

जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) का निर्माण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जिसका प्रबंधन स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 746 डीएसडीपी तैयार की जा चुकी हैं/प्राप्त की जा चुकी हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार डीएसडीपी की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है, जिसमें दमोह जिला (मध्य प्रदेश), नबरंगपुर जिला (ओडिशा), पलनाडु जिला (आंध्र प्रदेश), मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली और शाहडोल जिले तथा दिल्ली के जिले शामिल हैं।

**(घ)** प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श, विकेंद्रीकृत योजना का एक अभिन्न अंग है। जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) को तैयार करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर जिला कौशल समितियों और अन्य उपयुक्त मंच के माध्यम से किए जाने वाले हितधारक परामर्शों पर आधारित होती है। इन परामर्शों में जिला प्रशासन, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नियोक्ता (रोजगार प्रदाता), प्रशिक्षण प्रदाता, क्षेत्रीय हितधारक और अन्य संबंधित संस्थान शामिल होते हैं।

इस प्रकार के परामर्श से जिले-विशिष्ट विकास प्राथमिकताओं, उभरते आर्थिक क्षेत्रों, कार्यबल आवश्यकताओं और मजदूरी एवं स्वरोजगार के संभावित अवसरों की पहचान करने में सहायता मिलती है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सुझाव जिले के भीतर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और कौशल विकास आवश्यकताओं के निर्धारण का आधार बनते हैं।

डीएसडीपी कार्यढांचा स्थानीय कौशल मांग को समझने और जिला-स्तरीय दृष्टिकोण को व्यापक कौशल विकास इको सिस्टम में एकीकृत करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है।

**(ङ)** जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) कौशल अंतराल, क्षेत्रीय अवसरों, कार्यबल आवश्यकताओं और जिला स्तर पर संभावित हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए योजना और संदर्भ दस्तावेजों के रूप में कार्य करती हैं। ये योजनाएं कौशल विकास पहलों और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए जिला-विशिष्ट इनपुट प्रदान करती हैं।

डीएसडीपी के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र स्थानीय संसाधन उपलब्धता, औद्योगिक प्रोफाइल, आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के पैटर्न और उभरते विकास के अवसरों जैसे कारकों के आधार पर जिलों में भिन्न-भिन्न होते हैं। तदनुसार, योजनाओं में दर्शाई गई सिफारिशें और प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिला-विशिष्ट प्रकृति के होते हैं।

डीएसडीपी के माध्यम से पहचाने गए कौशल विकास संबंधी हस्तक्षेपों और संबंधित गतिविधियों का कार्यान्वयन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि लागू हो।

**(च)** ओडिशा के भद्रक और बालासोर जिलों के लिए जिला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) राष्ट्रीय डीएसडीपी अभ्यास के भाग के रूप में तैयार/प्राप्त की गई हैं।

डीएसडीपी में कौशल आवश्यकताओं, रोजगार के अवसरों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और कार्यबल की मांग से संबंधित जिला-विशिष्ट आकलन शामिल हैं, जिन्हें संबंधित जिला स्तरीय हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से तैयार किया गया है। ये योजनाएं स्थानीय कौशल विकास आवश्यकताओं को समझने और साक्ष्य-आधारित योजना का समर्थन करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाए गए व्यापक विकेंद्रीकृत कौशल नियोजन ढांचे का हिस्सा हैं।

**अनुबंध I**

**जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपीएस) के माध्यम से विकेंद्रीकृत कौशल योजना के संबंध में श्रीमती शोभनाबेन महेंद्रसिंह बारैया और श्री खगेन मुर्मु द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 10.08.2026 को उतरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *319 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य-संघ राज्य क्षेत्रवार डीएसडीपी की स्थिति इस प्रकार है:

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | डीएसडीपी द्वारा प्रस्तुत जिलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 3 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 26 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 25 |
| 4 | असम | 35 |
| 5 | बिहार | 38 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ | 27 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 3 |
| 9 | दिल्ली | - |
| 10 | गोवा | 2 |
| 11 | गुजरात | 33 |
| 12 | हरियाणा | 22 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 12 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 20 |
| 15 | झारखंड | 24 |
| 16 | कर्नाटक | 31 |
| 17 | केरल | 13 |
| 18 | लद्दाख | 2 |
| 19 | लक्षद्वीप | - |
| 20 | मध्य प्रदेश | 55 |
| 21 | महाराष्ट्र | 36 |
| 22 | मणिपुर | 10 |
| 23 | मेघालय | 12 |
| 24 | मिजोरम | 11 |
| 25 | नागालैंड | 7 |
| 26 | ओडिशा | 30 |
| 27 | पुदुचेरी | 2 |
| 28 | पंजाब | 23 |
| 29 | राजस्थान | 47 |
| 30 | सिक्किम | 6 |
| 31 | तमिलनाडु | 38 |
| 32 | तेलंगाना | 33 |
| 33 | त्रिपुरा | 8 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 75 |
| 35 | उत्तराखंड | 13 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 23 |
| | **कुल** | **746** |

**डीएसडीपी प्रस्तुत करने की जिलावार स्थिति:**

| क्रम संख्या | जिले का नाम | डीएसडीपी की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश | प्रस्तुत कर दिया गया |
| 2 | सिधी, मध्य प्रदेश | प्रस्तुत कर दिया गया |
| 3 | सिंगरौली, मध्य प्रदेश | प्रस्तुत कर दिया गया |
| 4 | शाहडोल, मध्य प्रदेश | प्रस्तुत कर दिया गया |
| 5 | पलनाडु जिला, आंध्र प्रदेश | प्रस्तुत कर दिया गया |
| 6 | नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा | प्रस्तुत कर दिया गया |
| 7 | भद्रक, ओडिशा | प्रस्तुत कर दिया गया |
| 8 | बालासोर, ओडिशा | प्रस्तुत कर दिया गया |

*****